UPHR010003592026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस.सी./एस.टी.(पी.ए.)एक्ट, हरदोई।

प्रकीर्ण वाद संख्या– 22/2026

सरोजनी देवी पुत्री शिवसागर निवासी ग्राम भैसहरा थाना सफीपुर जनपद उन्नाव। वर्तमान सेलापुर रोड मण्डी के सामने कनौजिया आटोमोबाइल माधौगंज, थाना माधौगंज जिला हरदोई।

..... आवेदिका

बनाम

1– नदीम पुत्र शफीक वर्तमान तैनाती थाना अरवल जिला हरदोई।

2– सायरा बानो पत्नी शफीक

3– शफीक पुत्र नवाब

4– रजिया पुत्री शफीक

5– शाहरूक पुत्र शफीक

6– जाकिर पुत्र नवाब

7– साहिल पुत्र शफीक

सर्व निवासीगण मोहल्ला गांधी नगर कस्बा व थाना रूरा जनपद कानपुर देहात।

..... विपक्षीगण

अन्तर्गत धारा– 173(4) BNSS
थाना– कासिमपुर
प्रार्थनापत्र– 3 अ
शपथ पत्र– 4 अ

दिनांकः 11–03–2026

आवेदन

1– यह आवेदन, आवेदिका **सरोजनी देवी** ने विपक्षीगण **नदीम, सायरा बानो, शफीक, रजिया, शाहरूक, जाकिर एवं साहिल** के विरूद्ध BNSS की धारा 173(4) के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत कराने और विवेचना कराये जाने हेतु योजित किया है।

आवेदन के संक्षिप्त कथन

2– संक्षेप में आवेदिका का अपने आवेदन में कथन है कि वह अनुसूचित जाति की है। विपक्षी संख्या 1 पुलिस विभाग में कार्यरत है जिसने उसका शारीरिक शोषण किया जिसके सम्बन्ध में उसके द्वारा पूर्व में अपराध संख्या 38/2021 अन्तर्गत धारा 376, 313, 506 भा०द०सं०, एस०सी०एस०टी० एक्ट एवं धर्म परिवर्तन के अपराध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करायी गयी।

Digitally signed by SUNIL KUMAR SINGH
Date: 2026.03.28 16:37:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

विपक्षी ने अपनी नौकरी बचाने के उद्देश्य से उससे विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह कर लिया और उस पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा। आवेदिका ने आगे यह कथन किये हैं कि दिनांक 24–10–2025 को विपक्षी उसके साथ 10 दिन तक रहा और दिनांक 3–11–2025 को यह कह कर चला गया कि यदि वह धर्म परिवर्तन नही करेगी तो वह उसके साथ नही रहेगा। इसके पश्चात जब वह विपक्षीगण के घर गयी तो वहां उसके साथ मारपीट की गयी, जान से मारने की धमकी दी गयी तथा जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी और न ही पुलिस अधीक्षक ने कोई कार्यवाही की।

थाने की आख्या

3– प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में थाने से प्राप्त आख्या के अनुसार यह तथ्य प्रकाश में आया कि पूर्व में आवेदिका द्वारा मु०अ०सं० 38/2021 अन्तर्गत धारा 376, 313, 506 भा०द०सं०, 3(2)(v), 3(2)(va) एस०सी०एस०टी० एक्ट एवं धारा 3/5(1) उ०प्र० विधि विरूद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम 2020 का अभियोग विपक्षी नदीम के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था जिसमें आवेदिका ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० में किसी प्रकार का अपराध घटित होना स्वीकार नही किया जिसके आधार पर पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रेषित की गयी। थाने की रिपोर्ट में यह भी अंकित है कि विपक्षी नदीम से आवेदिका ने विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह कर लिया है। इसके अतिरिक्त आवेदिका द्वारा दिनांक 20–12–2025 को महिला थाने में मु०अ०सं० 107/25 अन्तर्गत धारा 85, 351 BNS पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना प्रचलित है। थाने की रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 3–11–2025 को घटित घटना की पुष्टि नही हुयी है और इस सम्बन्ध में थाने पर कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

4– सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

विधिक स्थिति

5– माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा **प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ० प्र० राज्य (2015) 6 SCC 287** में यह अवधारित किया गया है कि धारा 156(3)द०प्र०सं०(अब 173(4) BNSS) के अन्तर्गत आवेदन यांत्रिक रूप से स्वीकार नही किया जा सकता है। आवेदिका को प्रथम दृष्टया यह दिखाना आवश्यक है कि उसके साथ संज्ञेय अपराध घटित हुआ है।

निष्कर्ष

6– अभिलेख के अवलोकन से निम्न तथ्य स्पष्ट होते हैं:–

i– आवेदिका द्वारा कथित घटना दिनांक 3–11–2025 की बतायी गयी है जबकि वर्तमान प्रार्थनापत्र दिनांक 17–1–2026 को योजित किया गया है जो कि लगभग 02 माह 15 दिन के विलम्ब से है और विलम्ब का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नही दिया गया है।

ii– पूर्व में आवेदिका के द्वारा विपक्षी संख्या 1 के विरूद्ध पंजीकृत अभियोग में उसने स्वयं अपने बयान अन्तर्गत धारा 164 द०प्र०सं० में अपराध से इंकार किया था, जिसके परिणाम स्वरूप पुलिस द्वारा अंतिम रिपोर्ट दाखिल की गयी थी।

iii– आवेदिका और विपक्षी के मध्य विशेष विवाह अधिनियम के अन्तर्गत विवाह होना अभिलेख से परिलक्षित है जिससे यह प्रतीत होता है कि पक्षकारों के मध्य वैवाहिक विवाद की स्थिति विद्यमान है।

iv– आवेदिका द्वारा महिला थाने में मु०अ०सं० 107/25 अन्तर्गत धारा 85, 351 BNS क्रूरता एवं आपराधिक अभित्रास के लिए पंजीकृत कराया गया है जिसकी विवेचना प्रचलित है। अतः समान प्रकृति के आरोपों के सम्बन्ध में पुनः धारा 173(4) BNSS के अन्तर्गत आदेश पारित करना उचित प्रतीत नही होता है।

7– उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में यह प्रतीत होता है कि प्रस्तुत प्रार्थनापत्र मुख्यतया वैवाहिक एवं व्यक्तिगत विवाद से प्रेरित है। अतः इसमें तत्काल विवेचना की आवश्यकता परिलक्षित नही होती है और आवेदिका का आवेदन निरस्त किये जाने योग्य है।

8– तद्नुसार आवेदिका का आवेदन अन्तर्गत धारा 173(4) BNSS **निरस्त** किया जाता है।

दिनांकः11–03–2026 **(सुनील कुमार सिंह–III)**

विशेष न्यायाधीश,एस०सी०/एस०टी(पी०ए०) एक्ट ,

हरदोई।

आई डी–यूपी 6076